28

संख्याः–2960 /XVII-1/2013–01(98)/2011

प्रेषक,

एस. राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड।
देहरादून।

2. निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 25 सितम्बर, 2013

विषयः– राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों की पुत्री के विवाह हेतु तथा बीमारी के ईलाज हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1919/XVII-1/2013–01(98)2011, दिनांक 25.06.2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदकों को धनराशि की स्वीकृति में पारदर्शिता लाए जाने तथा योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु निम्न दिशा–निर्देशानुरूप तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित करें–

(1) आवेदको द्वारा आवदेन सीधे संबंधित विकास खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में अथवा सीधे संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में किया जायेगा तथा सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवेदक के समक्ष ही आवेदन–पत्र को कम्प्यूटर एवं पंजीका में दर्ज किया जाएगा व आवेदक को **संलग्न प्रारुपानुसार** एक प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें आवेदक का नाम, पता, आवेदन प्राप्ति का दिनांक तथा समय स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

(2) जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्राप्त आवेदनों में उल्लिखित विवरण का परीक्षण/जांच आवेदन प्राप्ति की तिथि से **पन्द्रह दिनों के भीतर** संबंधित विकास खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी से कराया जेाना आवश्यक होगा तथा सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में प्राप्त आवेदनों में उल्लिखित विवरण का परीक्षण/जांच आवेदन प्राप्ति की तिथि से **एक सप्ताह के भीतर** संबंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवश्यक रुप से करते हुये आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। परीक्षण/जांच में फर्जी पाये गये आवेदकों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(3) परीक्षण/जांच के उपरान्त उपयुक्त पाये गये आवेदनों की तिथिवार एवं समयवार वरियताक्रम में सूची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा तथा वरियता क्रम के अनुसार ही **प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार** पर धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

(4) योजनान्तर्गत धनराशि **त्रैमासिक आधार पर** स्वीकृत किये जायेगें अर्थात वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास के अन्तिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों की संकलित सूची तैयार कर आवेदन प्राप्ति का दिनांक तथा समय के वरियता क्रम में आवेदन पत्र में

अंकित विवरण का भली–भांति परीक्षण/जांच कर पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार स्वीकृत की जायेगी।

(5) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृत आवेदनों का विवरण आवेदन की प्राप्ति की तिथि एवं समय सहित कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुये उक्त सूची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा व स्वीकृति के संबंध में एस0एम0एस0/पोस्टकार्ड के माध्यम से संबंधित लाभार्थियों को अवगत कराया जायेगा।

(6) आवेदन पत्र की स्वीकृति के 15 दिनों के भीतर लाभार्थी को एक मुश्त धनराशि बैंक ड्राफ्ट/रेखांकित चैक/ई–ट्रान्सफर के द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। लाभार्थी को नगद भुकतान कदापि नहीं किया जायेगा।

(7) जिन आवेदकों को धनराशि स्वीकृत नहीं की गई हो उनका पूर्ण विवरण, स्वीकृत न होने के स्पष्ट कारण सहित, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुये विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा।

(8) स्वीकृत किए गये आवेदनों के सम्बन्ध में यदि किसी आवेदक को आपत्ति हो तो वे सीधे निदेशक, समाज कल्याण/निदेशक, जनजाति कल्याण के सम्मुख पूर्ण संगत प्रमाण/साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज करा सकता है,जिसका निस्तारण सम्बन्धित निदेशक द्वारा आपत्ति प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर किया जाना आवश्यक होगा।

(9) योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति उपरोक्त निर्धारित प्रक्रियानुसार न होने एवं अन्य किसी भी प्रकार के अनियमितता के लिए संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा आवेदकों के फर्जी पाये जाने पर संबंधित विकास खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी जिम्मेदार होंगे तथा ऐसे में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

3. उपरोक्त निर्धारित प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की शिथिलता शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रदान किये जा सकेंगे।

4. योजना से सम्बन्धित शेष शर्तें व प्राविधान पूर्व की भांति यथावत रहेगी।

भवदीय,

(एस. राजू)
प्रमुख सचिव

संख्या–2960 (1)/XVII-1/2013–01(98)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव–मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड, सचिवालय।
8. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
संयुक्त सचिव।

राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों की पुत्री के विवाह हेतु तथा बीमारी के ईलाज हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की प्राति रसीद।

इस योजना के अन्तर्गत आवेदक श्री/श्रीमती.....पुत्र/पत्नी .... निवासी.....विकासखण्ड.....तहसील..... .....जनपद.....द्वारा पुत्री के विवाह हेतु/बीमारी के ईलाज हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक.....को .....बजे इस कार्यालय में प्राप्त कराया गया। इनका आवेदन पत्र संबंधित पंजीका में क्रमांक.....पर अंकित किया गया है।

स्थानः–
दिनांकः–

हस्ताक्षर
प्राप्तकर्ता का नाम
पदनाम
कार्यालय का नाम